


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या:- 127/2014.....जिला-अलवर.....।

उनवान- मैसर्स गायत्री ट्रेवल्स, नीमच, मध्य प्रदेश बनाम स.वा.क.अ. घट-प्रथम, बहरोड़, शाहजहांपुर।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 04.12.2014 | <p align="center">एकलपीठ श्री मदन लाल, सदस्य</p> <p>उक्त विविध प्रार्थना पत्र, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ के प्रकरण अपील संख्या 1546/2014/अलवर मैसर्स गायत्री ट्रेवल्स, नीमच, मध्य प्रदेश बनाम स.वा.क.अ. घट-प्रथम, बहरोड़, शाहजहांपुर के संबंध में प्रस्तुत कर, प्रकरण के निस्तारण की समयावधि, बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा, व विभाग की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 01.12.2014 को उपस्थित हुये। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में उप-राजकीय अभिभाषक की ओर से प्रकरण में समयावधि बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय बहस व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरण के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक 05.09.2014 के जरिये पूर्व में निर्धारित समय सीमा मय स्थगन पूर्व पारित आदेश दिनांक 05.09.2014 की शर्तानुसार को इस आदेश प्राप्ति के आगामी तीन माह अर्थात् 10.03.2015 तक बढ़ाया जाना उचित है। अतः अपील प्रकरणों के निस्तारण की समयसीमा दिनांक 10.03.2015 तक बढ़ायी जाती है।</p> <p align="center">निर्णय सुनाया गया।</p> <p align="right">  4.12.14 (मदन लाल) सदस्य </p> | |